अध्याय–I सामान्य

अध्याय-I: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 राजस्थान सरकार की राजस्व प्राप्तियों में राज्य सरकार द्वारा वसूल किया गया कर एवं कर-इतर प्राप्तियाँ, भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्क में राज्य का भाग और भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान सम्मिलित है। वर्ष 2011-12 के दौरान प्राप्तियाँ तथा गत चार वर्षों के तद्नुरूपी आंकड़ों की स्थिति नीचे दर्शायी गई है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1.	**राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व**					
	• कर राजस्व	13,274.73	14,943.75	16,414.27	20,758.12	25,377.05
	• कर इतर राजस्व	4,053.93	3,888.46	4,558.22	6,294.12	9,175.10
	योग	**17,328.66**	**18,832.21**	**20,972.49**	**27,052.24**	**34,552.15**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाजित होने वाले संघीय करों एवं शुल्क की शुद्ध प्राप्तियों में भाग	8,527.60	8,998.47	9,258.13	12,855.63	14,977.05
	• सहायतार्थ अनुदान	4,924.36	5,638.17	5,154.39	6,020.33	7,481.56
	योग	**13,451.96**	**14,636.64**	**14,412.52**	**18,875.96**	**22,458.61**
3.	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 और 2)**	**30,780.62**	**33,468.85**	**35,385.01**	**45,928.20**	**57,010.76**[1]
4.	**1 की 3 से प्रतिशतता**	**56**	**56**	**59**	**59**	**61**

[1] ब्यौरे के लिए कृपया राजस्थान सरकार के वर्ष 2011-12 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या-11-लघु शीर्षवार राजस्व के विस्तृत लेखे देखें। वित्त लेखों में 'क-कर राजस्व के अन्तर्गत प्रदर्शित मद 0020-निगम कर, 0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0022-कृषि आय पर कर, 0032-सम्पदा पर कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं 0044-सेवा कर-शुद्ध प्राप्तियों में से राज्य को दिया गया भाग' के आंकड़ों को उपर्युक्त विवरण में 'राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व' में से घटाया गया है एवं 'विभाजित होने वाले संघीय करों में राज्य का भाग' में जोड़ा गया है।

उपर्युक्त तालिका इंगित करती है कि वर्ष 2011-12 के दौरान राज्य सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व (₹ 34,552.15 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 61 प्रतिशत रहा। वर्ष 2011-12 के दौरान शेष 39 प्रतिशत प्राप्तियाँ भारत सरकार से थी।

1.1.2 निम्नलिखित तालिका वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान एकत्रित कर राजस्व का संयोजन प्रदर्शित करती है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2011-12 में 2010-11 पर वृद्धि(+)/ कमी (-) की प्रतिशतता
1.	बिक्री व्यापार इत्यादि पर कर	7,345.84	8,442.02	9,681.38	11,901.24	14,665.63	(+) 23
	केन्द्रीय बिक्री कर	404.90	462.48	482.15	728.35	1,100.80	(+) 51
2.	राज्य आबकारी शुल्क	1,805.12	2,169.90	2,300.48	2,861.41	3,287.05	(+) 15
3.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क						
	मुद्रांक-न्यायिक	30.61	30.61	30.47	43.07	79.40	(+) 84
	मुद्रांक-गैर-न्यायिक	1,316.41	1,137.54	1,104.79	1,522.01	2,153.68	(+) 42
	पंजीयन शुल्क	197.33	188.48	227.68	375.96	418.29	(+) 11
4.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	584.23	654.05	699.99	905.81	1,094.48	(+) 21
5.	मोटर वाहनों पर कर	1,164.40	1,213.56	1,372.87	1,612.25	1,927.05	(+) 20
6.	माल एवं यात्रियों पर कर	160.61	189.87	176.10	230.69	220.13	(-) 5
7.	आय एवं व्यय पर अन्य कर, व्यवसाय, व्यापार, पेशा एवं रोजगार पर कर	0.04	0.04	0.04	0.02	0.06	(+) 200
8.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	58.91	64.52	58.52	64.43	43.44	(-) 33
9.	भू-राजस्व	155.29	162.52	147.66	222.17	209.01	(-) 6
10.	अन्य कर	51.04	228.16	132.14	290.71	178.03	(-) 39
योग		**13,274.73**	**14,943.75**	**16,414.27**	**20,758.12**	**25,377.05**	**(+) 22**

सम्बन्धित विभागों ने अन्तर के निम्नलिखित कारण बताये:

बिक्री, व्यापार इत्यादि पर करः समुचित अनुश्रवण, कर अपवंचन पर रोकथाम एवं विभाग के राजस्व वसूली प्रयासों तथा कुछ वस्तुओं पर कर की दर में वृद्धि के कारण वृद्धि (23 प्रतिशत) हुई।

केन्द्रीय बिक्री करः समुचित अनुश्रवण, कर अपवंचन पर रोकथाम एवं विभाग के राजस्व वसूली प्रयासों के कारण वृद्धि (51 प्रतिशत) हुई।

राज्य आबकारी शुल्कः वृद्धि (15 प्रतिशत) मुख्यत: माल्ट मदिरा, विदेशी मदिरा तथा प्रासव की बिक्री से अधिक प्राप्तियों के कारण थी।

मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्कः न्यायिक व गैर न्यायिक मुद्रांक की अधिक बिक्री, पंजीयन होने वाले दस्तावेजों की पंजीयन फीस, कोर्ट फीस तथा जिला स्तरीय समिति की दरों में वृद्धि के कारण वृद्धि (37 प्रतिशत) हुई।

विद्युत पर कर एवं शुल्कः विद्युत के उपयोग एवं बिक्री पर कर की अधिक प्राप्ति के कारण वृद्धि (21 प्रतिशत) हुई।

मोटर वाहनों पर करः अधिक अधिभार की प्राप्ति, हरित कर, व एकबारीय कर की दरों में वृद्धि के कारण वृद्धि (20 प्रतिशत) हुई।

वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्कः सिनेमा टिकटों पर से मनोरजंन कर हटाये जाने से कम प्राप्ति के कारण (33 प्रतिशत) कमी रही।

अन्य करः भूमि कर बकाया वसूली के विभिन्न प्रकरणों पर न्यायलय स्थगन द्वारा रोके जाने के कारण (39 प्रतिशत) कमी रही।

अन्य विभागों ने अन्तर के कारणों को, यद्यपि, मांगे गये (अप्रेल 2012), सूचित नहीं किया (नवम्बर 2012)।

1.1.3 निम्नलिखित तालिका वर्ष 2007-08 से 2011-12 की अवधि के दौरान राज्य द्वारा वसूल किये गये कर-इतर राजस्व का विवरण प्रदर्शित करती है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2011-12 में 2010-11 पर वृद्धि (+)/ कमी(-) की प्रतिशतता
1.	ब्याज प्राप्तियाँ	1,112.43	1,195.96	1,185.45	1,276.70	1,714.53	(+) 34
2.	वानिकी एवं वन्य जीवन	58.30	57.74	56.35	93.20	74.95	(-) 20
3.	अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	1,226.61	1,275.59	1,612.26	1,929.58	2,366.32	(+) 23
4.	विविध सामान्य सेवाएं	919.72	580.33	739.30	271.19	353.09	(+) 30
5.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	57.92	54.16	48.83	86.04	91.83	(+) 7
6.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	39.11	36.87	56.55	45.46	59.38	(+) 31
7.	सहकारिता	27.01	18.13	21.03	16.35	22.38	(+) 37
8.	सार्वजनिक निर्माण	53.41	93.43	62.75	62.10	55.85	(-) 10
9.	पुलिस	94.81	71.43	126.24	133.93	143.54	(+) 7
10.	अन्य प्रशासनिक सेवायें	54.71	49.57	49.12	80.33	110.99	(+) 38
11.	अन्य कर-इतर प्राप्तियाँ	409.90	455.25	600.34	2,299.24	4,182.24	(+) 82
	योग	**4,053.93**	**3,888.46**	**4,558.22**	**6,294.12**	**9,175.10**	(+) **46**

सम्बन्धित विभागों ने अन्तर के निम्नलिखित कारण बताये:

ब्याज प्राप्तियां: नगद शेष के निवेश पर अधिक ब्याज प्राप्ति के कारण (34 प्रतिशत) वृद्धि हुई।

वानिकी एवं वन्य जीवन: वानिकी के अन्तर्गत कम प्राप्ति के कारण (20 प्रतिशत) कमी रही।

अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग: वृद्धि (23 प्रतिशत) मुख्यत: खनिजों की रियायत फीस, किराये एवं रॉयल्टी की अधिक प्राप्तियों के कारण हुई।

विविध सामान्य सेवाऐं: वृद्धि (30 प्रतिशत) मुख्यत: विगत वर्षो की अव्ययित राशि को राज्य परियोजना निदेशक, राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई जिला गरीबी उन्मूलन

परियोजना, जयपुर द्वारा जमा करायें जाने, उदयपुर और कोटा के नगर विकास न्यास द्वारा जमा कराया गया नगरीय कर।

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य: कर्मचारी राज्य बीमा योजना व अन्य प्राप्तियों मे अधिक प्राप्तियों के कारण (31 प्रतिशत) वृद्धि हुई।

सहकारिता: वृद्धि (37 प्रतिशत) मुख्यत: लाभांश की अधिक प्राप्ति व पंजीकरण शुल्क की वृद्धि के कारण हुई।

अन्य प्रशासनिक सेवाएँ: जुर्माना व जब्तियों की अधिक प्राप्ति के कारण व निर्वाचन के अन्तर्गत अन्य प्राप्तियों के कारण वृद्धि (38 प्रतिशत) हुई।

अन्य कर-इतर प्राप्तियाँ: वृद्धि (82 प्रतिशत) मुख्यत: बाड़मेर क्षेत्र से कच्चे तेल के अधिक उत्पादन के कारण रॉयल्टी खाते में अधिक प्राप्तियों के कारण हुई।

अन्य विभागों ने अन्तर के कारणों को, अनुरोध के बावजूद (अप्रेल 2012) सूचित नहीं किया (नवम्बर 2012)।

1.2 लेखापरीक्षा टिप्पणियों की ओर सरकार/विभाग की अनुक्रिया

निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुरूप महत्वपूर्ण लेखों एवं अन्य अभिलेखों के रख-रखाव का सत्यापन एवं कार्य निष्पादन की नमूना जाँच के लिए प्रधान महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान, सरकारी विभागों का सामयिक निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं, जिन्हें स्थल पर ही निस्तारित नहीं किया गया, उनको सम्मिलित करते हुऐ निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं जो निरीक्षण किये गये कार्यालय के अध्यक्ष तथा उससे अगले उच्च प्राधिकारी को शीघ्र सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु प्रतिलिपि भेजते हुऐ जारी किये जाते हैं। कार्यालय प्रमुखों/सरकार को निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल आक्षेपों की शीघ्रता से अनुपालना, कमियों एवं त्रुटियों में सुधार के साथ निरीक्षण प्रतिवेदन जारी करने के एक माह के अन्दर प्रथम अनुपालना के माध्यम से महालेखाकार को प्रतिवेदित करना होता है। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं विभागाध्यक्षों एवं सरकार को प्रतिवेदित की जाती हैं।

1.2.1 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

दिसम्बर 2011 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिती की समीक्षा की गई। जिससे पता चलता है कि 2,628 निरीक्षण प्रतिवेदनों में ₹ 5,958.95 करोड़ सन्निहित के 8,260 अनुच्छेद जून 2012 के अन्त तक बकाया थे, जैसा कि गत दो वर्षों के आंकड़ों के साथ नीचे दर्शाया गया है:

विवरण	जून 2010	जून 2011	जून 2012
बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,400	2,469	2,628
बकाया लेखापरीक्षा आक्षेपों की संख्या	6,765	7,464	8,260
सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)	2,112.69	2748.76	5,958.95

30 जून 2012 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षा आक्षेपों तथा उनमें सन्निहित राशि का विभागानुसार विवरण नीचे दर्शाया गया है:

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा आक्षेपों की संख्या	सन्निहित राशि (₹ करोड़ में)
1.	वाणिज्यिक कर	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर/मूल्य परिवर्धित कर	489	2,177	2,156.74
		मनोरंजन कर, विलासिता कर इत्यादि	27	27	7.29
		विद्युत कर	–	–	–
2.	परिवहन	मोटर वाहनों पर कर	433	1,312	397.76
3.	भू-राजस्व	भू-राजस्व	268	457	1,109.02
		भूमि एवं भवन कर	8	12	0.49
4.	पंजीयन एवं मुद्रांक	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	1,009	2,586	114.24
5.	राज्य आबकारी	राज्य आबकारी शुल्क	152	422	270.47
6.	खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	242	1,267	1,902.94
योग			**2,628**	**8,260**	**5,958.95**

दिसम्बर 2011 तक जारी 102 निरीक्षण प्रतिवेदनों के लिए निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर कार्यालय प्रमुखों से प्राप्त होने वाली प्रथम अनुपालना प्राप्त नहीं हुई थी (30 जून 2012)। उत्तर प्राप्त नहीं होने के कारण भारी संख्या में लम्बित निरीक्षण प्रतिवेदन इस तथ्य का सूचक है कि प्रधान महालेखाकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में बतायी गयी कमियों, त्रुटियों एवं अनियमितताओं को ठीक करने की कार्यवाही प्रारंभ करने में कार्यालय प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष असफल रहे।

लेखापरीक्षा आक्षेपों पर शीघ्र एवं समुचित कार्यवाही करने हेतु एक प्रभावी प्रणाली शुरू करने के लिए सरकार उचित कदम उठाये तथा इसके साथ-साथ उन कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करें जो निर्धारित समय सीमा के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/अनुच्छेदों के उत्तर भेजने में असफल रहे तथा राजस्व हानि/बकाया की वसूली के लिए समयबद्ध तरीके से कार्यवाही करने में भी असफल रहे।

1.2.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों के निस्तारण की निगरानी एवं शीघ्र प्रगति के लिए सरकार ने लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया है। विभाग द्वारा एक वर्ष में कम से कम चार (प्रत्येक तिमाही में एक) लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित करनी होती हैं। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के निस्तारण हेतु विभाग में लेखापरीक्षा उप-समितियों की बैठकें भी आयोजित की जाती हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान सम्पन्न हुई लेखापरीक्षा समिति तथा लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकों तथा निस्तारित किये गये अनुच्छेदों का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

विभाग का नाम	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या	लेखापरीक्षा उप-समिति की बैठकों की संख्या	निस्तारित अनुच्छेदों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
वाणिज्यिक कर	2	-	-	-
परिवहन	3	2	145	3.89
भू-राजस्व	-	5	46	12.48
पंजीयन एवं मुद्रांक	2	13	142	0.96
राज्य आबकारी	4	1	10	0.45
खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	2	-	-	-
योग	**13**	**21**	**343**	**17.78**

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि वाणिज्यिक कर विभाग तथा खान, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम विभाग से कोई भी अनुच्छेद निस्तारित नहीं किया गया। लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों की संख्या भी राज्य आबकारी विभाग को छोड़कर चार से कम थी।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार सम्बन्धित विभागों को निर्देश जारी करें कि लेखापरीक्षा समितियों की बैठकों संख्या में वृद्धि करें जिससे तत्समय ही अच्छी संख्या में अनुच्छेदों का निस्तारण किया जा सके।

1.2.3 विभागों की अनुक्रिया

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के उत्तर, उनकी प्राप्ति से तीन सप्ताह के अन्दर भिजवाने हेतु वित्त विभाग ने अगस्त 1969 में सभी विभागों को निर्देश जारी किये थे। प्रारूप अनुच्छेद सम्बन्धित विभागों के सचिवों को अर्द्धशासकीय पत्रों के माध्यम से लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकृष्ट करने तथा यह अनुरोध करते हुऐ भेजे जाते हैं कि वे उनके उत्तर तीन सप्ताह में भिजवा दें।

सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं होने के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक अनुच्छेद के अन्त में आवश्यक रूप से दर्शाया जाता हैं।

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित 'मूल्य परिवर्धित कर एवं केन्द्रीय बिक्री कर के निर्धारण एवं संग्रहण' पर एवं निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 90 प्रारूप अनुच्छेद (इस प्रतिवेदन के 43 अनुच्छेदों में संकलित) सम्बन्धित विभागों के सचिवों को सितम्बर एवं नवम्बर 2012 के मध्य प्रेषित किये गये थे। इनमें से 46 प्रकरणों में सम्बन्धित विभागों के उत्तर प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त 'मूल्य परिवर्धित कर एवं केन्द्रीय बिक्री कर के निर्धारण एवं संग्रहण' पर निष्पादन लेखापरीक्षा पर समापन सम्मेलन में वाणिज्यिक कर विभाग/सरकार से चर्चा की गई।

1.2.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति

वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सभी विभागों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखे जाने के तीन माह के अन्दर उसमें सम्मिलित अनुच्छेदों के सम्बन्ध में अपने व्याख्यात्मक ज्ञापन लेखापरीक्षा द्वारा जांचोपरान्त राज्य विधानसभा सचिवालय को प्रेषित करने होते हैं।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किये गये तथा 30 सितम्बर 2012 को चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेदों की स्थिति **परिशिष्ट 'अ'** में दर्शायी गई हैं। वर्ष 2005-06 से 2010-11 की अवधि से सबन्धित कुल मिलाकर 111 अनुच्छेद जन लेखा समिति में चर्चा हेतु शेष थे।

राजस्थान राज्य विधानसभा की जन लेखा समिति के लिए वर्ष 1997 में बनाये गये नियमों एवं कार्यविधियों के अनुसार, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर जन लेखा समिति द्वारा की गई सिफारिशों के विधानसभा में प्रस्तुत करने के छः माह के अन्दर उन पर क्रियान्विति विषयक टिप्पणी प्रेषित करने हेतु सम्बन्धित विभागों को आवश्यक कार्यवाही करनी होती है। हमने पाया कि **परिशिष्ट 'ब'** में दर्शायी 189 क्रियान्विति विषयक टिप्पणियां 30 सितम्बर 2012 को बकाया थी।

1.2.5 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की अनुपालना

पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित, स्वीकार किए गए अनुच्छेदों तथा 30 सितम्बर 2012 तक गत दस वर्षों में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में वसूल की

गई राशि की स्थिति नीचे तालिका में दर्शायी गई है:

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित अनुच्छेदों की संख्या	अनुच्छेदों की धन राशि	स्वीकृत अनुच्छेदों की संख्या	स्वीकृत अनुच्छेदों की धन राशि	वर्ष[2] के दौरान वसूली गई राशि	स्वीकृत प्रकरणों में कुल वसूली की स्थिति
2001-02	45	448.86	36	99.65	शून्य	30.52
2002-03	46	382.52	36	220.03	शून्य	62.83
2003-04	31	381.48	30	234.77	शून्य	49.52
2004-05	27	276.63	23	16.14	शून्य	6.15
2005-06	39	352.81	27	118.93	शून्य	23.28
2006-07	41	315.25	25	254.28	0.05	6.60
2007-08	39	666.55	34	246.83	2.47	99.19
2008-09	48	392.71	32	71.80	0.22	21.85
2009-10	28	638.85	20	431.15	10.63	17.13
2010-11	32	617.96	16	335.70	7.69	7.69
योग	**376**	**4,473.62**	**279**	**2,029.28**	**21.06**	**324.76**

वर्ष 2001-02 से 2010-11 के दौरान ₹ 4,473.62 करोड़ सन्निहित के 376 अनुच्छेद लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित थे। सरकार/विभागों ने ₹ 2,029.28 करोड़ की लेखापरीक्षा टिप्पणियां स्वीकार की, जिनमें से गत 10 वर्षों के दौरान केवल ₹ 324.76 करोड़ (16 प्रतिशत) ही वसूल किये गये (30 सितम्बर 2012)।

सरकार को ऐसी प्रणाली तैयार करनी चाहिए, जिससे कि कम से कम स्वीकार किये गये अनुच्छेदों में सन्निहित राशि की तो वसूली हो सके।

1.3 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अधीन इकाई कार्यालयों को, उनकी राजस्व की स्थिति, पूर्व के लेखापरीक्षा आक्षेपों की प्रवृत्ति तथा अन्य मापदण्डों के अनुसार उच्च, मध्यम एवं कम जोखिम में श्रेणीबद्ध किया गया है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना, जोखिम विश्लेषण के अलावा सरकार के राजस्व तथा कर प्रशासन, जैसे बजट भाषण, राज्य वित्त पर श्वेत-पत्र, वित्त आयोग (राज्य एवं केन्द्रीय) के प्रतिवेदनों, कराधान सुधार समिति की सिफारिशों, गत पाँच वर्षों के दौरान राजस्व प्राप्तियों का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन की विशिष्टता, गत पाँच वर्षों के दौरान

[2] जनवरी, 2012 से सितम्बर 2012

लेखापरीक्षा किया गया क्षेत्र तथा इसके प्रभाव आदि के आधार पर तैयार की गयी है।

वर्ष 2011-12 के दौरान, लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध सभी 758 इकाइयों में से वर्ष 2011-12 के दौरान 409 इकाइयों की लेखापरीक्षा की योजना बनायी तथा लेखापरीक्षा की गई, जो लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध इकाइयों की 54 प्रतिशत है। इस संव्यवहार लेखापरीक्षा के अतिरिक्त एक निष्पादन लेखापरीक्षा विभागों की क्षमता तथा कार्यप्रणाली/प्रक्रिया जाँचने के लिए की गई थी।

1.4 लेखापरीक्षा के परिणाम

1.4.1 वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वाणिज्यिक कर, परिवहन, भू-राजस्व, पंजीयन एवं मुद्रांक, राज्य आबकारी, खान एवं अन्य विभागीय कार्यालयों की 409 इकाइयों के अभिलेखों की वर्ष 2011-12 के दौरान की गई मापक जाँच में 47,716 प्रकरणों में ₹ 3,119.98 करोड़ की राशि के अवनिर्धारण, कम आरोपण/राजस्व हानि आदि का पता चला। वर्ष के दौरान सम्बन्धित विभागों ने अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों में निहित राशि ₹ 1,110.74 करोड़ के 17,146 प्रकरण स्वीकार किये, जिनमें से ₹ 1,013.90 करोड़ सन्निहित के 3,896 प्रकरण वर्ष 2011-12 के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा में ध्यान में लाये गये थे। वर्ष 2011-12 के दौरान सम्बन्धित विभागों ने 8,789 प्रकरणों में ₹ 44.26 करोड़ संग्रहित किये।

1.4.2 यह प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन मे ₹ 763.52 करोड़ वित्तीय प्रभाव के 'मूल्य परिवर्धित कर एवं केन्द्रीय बिक्री कर के निर्धारण एवं संग्रहण' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 43 अनुच्छेद है। विभागों/सरकार ने ₹ 353.77 करोड़ सन्निहित की लेखापरीक्षा टिप्पणियां स्वीकार की, जिनमें से ₹ 10.74 करोड़ वसूल कर लिए गये। शेष प्रकरणों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए (नवम्बर 2012)। इन पर आगामी अध्याय-II से VII में चर्चा की गई है।